आवश्यक

संख्या-131/2020/2422/26-3-2020

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर 2020

विषयः प्रदेश के गोंड एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति एवं शेष जनपदों में गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन जातियों की सूची के क्रमांक-6 पर अंकित गोंड एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जातियों जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है। साथ ही भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची के क्रमांक-36 पर गोंड जाति सूचीबद्ध है। इस प्रकार प्रदेश की गोंड जाति कतिपय 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति एवं शेष जनपदों में अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के गोंड एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगोंड जाति के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को अधिकारियों द्वारा कतिपय कारणवश यथा बोली-भाषा, रहन-सहन, खान-पान, विस्थापन, वर्तनी, राजस्व 1356 व 1359 फसली अभिलेख, आदि के आधार पर निरस्त किया जा रहा है तथा उन्हें प्राप्त संवैधानिक सुविधा प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है।

3- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि किसी भी जाति को संवैधानिक सुविधाएं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रदान की जाती है इसलिए किसी भी अधिकारी को इस प्रकार का भ्रम पैदा कर उन्हें जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारियों को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अतएव उक्त के आलोक में गोंड एवं उसकी पर्याय (धुरिया, नायक ओझा, पठारी एवं राजगोंड) को कतिपय 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र) में अनुसूचित जनजाति का तथा शेष जनपदों में गोंड जाति को नियमानुसार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय अभिलेखीय साक्ष्यों के तौर पर आसपास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं (स्कूल/विद्यालय) की टी0सी0, स्क्रूटनी प्रमाण पत्रों, आदि को आधार बनायें, मात्र 1359 व 1356 फसली के अभिलेखों के आधार पर निर्णय न लें। साथ ही इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही न किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार/लेखपाल के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

पृ0सं0-131/2020/2422(1)/26-3-2020 तददिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
3-निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0।

आज्ञा से

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।